प्रेस नोट दिनांक 12.06.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ

थाना कुण्डा पुलिस की बड़ी सफलता, विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला अभियुक्त दीपक यादव गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के क्रम में, थाना कुण्डा पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस टीम ने एक विवाहिता को प्रेम संबंधों के बहाने प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए विवश करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

प्रतापगढ़।
वादी निवासी ग्राम अगोरी बाजार लरू, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ के अनुसार उसकी माता को ग्राम ताजपुर सरियांवा शिवचरन का पुरवा निवासी दीपक यादव पुत्र दुधनाथ यादव ने पिछले लगभग दो वर्षों से प्रेम संबंधों के बहाने अपने प्रभाव में लेकर विभिन्न बहानों से करीब ₹1,50,000 प्राप्त किए तथा विरोध करने पर बदनाम करने की धमकी देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा। उक्त प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर दिनांक 11.06.2026 को उसकी माता ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिन्हें उपचार हेतु सीएचसी कुण्डा तथा बाद में एसआरएन अस्पताल प्रयागराज भेजा गया, जहाँ उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कुण्डा में मु0अ0सं0 194/2026 धारा 108 बीएनएस बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में थाना कुण्डा के उ0नि0 मृत्युंजय पांडेय मय हमराह का0 अतुल कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-194/2026 धारा 108 बीएनएस थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त दीपक यादव पुत्र दूधनाथ यादव निवासी ग्राम शिवचरन का पुरवा सरियांवा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 28 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- दीपक यादव पुत्र दूधनाथ यादव निवासी ग्राम शिवचरन का पुरवा सरियांवा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 28 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण- उ0नि0 मृत्युंजय पांडेय मय हमराह का0 अतुल कुमार थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 02 वांछित अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार, अभियुक्त रवि कुमार उर्फ प्रधान की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डण्डा बरामद किया गया। अभियुक्त को थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चाँदपुर मोड़ प्रतापगढ़ प्रयागराज सड़क मार्ग वहद ग्राम कनेस्ता रंगौली के पास से गिरफ्तार किया गया है।

दिनांक 09.06.2026 को समय लगभग 07.30 बजे शाम थाना देल्हूपुर क्षेत्रातंर्गत प्रार्थी के पुत्र प्रदीप कुमार सरोज के बाजार से वापस लौटते समय ग्राम के ही विपक्षियों ने पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौज करते हुए लाठी, डण्डा व लोहे की रॉड से मारपीट की। मारपीट में प्रदीप कुमार के सिर, गर्दन एवं आंख में चोटें आई। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना देल्हूपुर पर मु0अ0सं0 90/2026 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी देल्हूपुर श्री राधेश्याम के नेतृत्व में उ0नि0 श्री धनन्जय सिह व का उपेन्द्र कुमार, रि०आ० सुनील कुमार रि०मआ0 वन्दना पटेल व रि०मआ० सुष्मिता द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत मु0अ0स0 90/26 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस थाना देल्हूपुर से संबंधित 02 वांछित अभियुक्त 1. रवि कुमार उर्फ प्रधान पुत्र गुड्डू बनवासी उम्र करीब 21 वर्ष 2. किशन कुमार उर्फवकील पुत्र गुड्डू बनवासी उम्र करीब 19 वर्ष, अभियुक्ता 3. यशोदा देवी पत्नी गुड्डू बनवासी उम्र करीब 45 वर्ष निवासीगण ग्राम सराय प्रानमती थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चाँदपुर मोड़ प्रतापगढ़ प्रयागराज सड़क मार्ग वहद ग्राम कनेस्ता रंगौली के पास से गिरफ्तार किया गया है । अभियुक्त रवि कुमार उर्फ प्रधान की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डण्डा बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण-
1. रवि कुमार उर्फ प्रधान पुत्र गुड्डू बनवासी उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम सराय प्रानमती थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़
2. किशन कुमार उर्फवकील पुत्र गुड्डू बनवासी उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम सराय प्रानमती थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़
3. यशोदा देवी पत्नी गुड्डू बनवासी उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम सराय प्रानमती थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम का विवरण- उ0नि0 श्री धनन्जय सिह व का उपेन्द्र कुमार, रि०आ० सुनील कुमार रि०मआ0 वन्दना पटेल व रि०मआ० सुष्मिता थाना देल्हुपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

थाना बाघराय पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना बाघराय पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस टीम द्वारा वांछित वारंटियों की धर-पकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही का विवरण: थाना बाघराय के उ0नि0 विनीत कुमार यादव मय हमराह रि0का0 यादवेन्द्र यादव द्वितीय द्वारा देखभाल क्षेत्र एवं तलाश वांछित वारंटी के दौरान मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया:

01. भगेलू उर्फ वीरेन्द्र विश्वकर्मा पुत्र स्व0 सीताराम विश्वकर्मा उम्र करीब 50 वर्ष।
संबंधित मामला: माननीय न्यायालय एससी/एसटी स्पे0 कोर्ट से निर्गत सम्मन केस नं0 1296/2024 धारा 323,504,506,427 भादवि ।

पुलिस टीम- उ0नि0 विनीत कुमार यादव मय हमराह रि0का0 यादवेन्द्र यादव द्वितीय थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़

थाना अंतू पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-
पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना अंतू पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस टीम द्वारा वांछित वारंटियों की धर-पकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही का विवरण:
थाना अंतू के उ0नि0 सचिन यादव मय हमराह का0 जितेन्द्र कुमार, का0 विनोद कुमार, का0 लाखन सिंह, रि0का0 नीरज कुमार, रि0का0 अंकित यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र एवं तलाश वांछित वारंटी के दौरान मुखबिर की सूचना पर निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया:

01. धीरेन्द्र पाण्डेय पुत्र हरिकेश पाण्डेय, निवासी ग्राम सिरखोरी गड़वारा, थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़।
संबंधित मामला: एन.बी.डब्ल्यू (NBW) ई-वारंटी, वाद संख्या 795/2020, अपराध संख्या 87/2020, धारा 8/20 एनडीपीएस (NDPS) एक्ट।
02. साहिल वर्मा पुत्र रामखेलावन वर्मा, निवासी परमनाथपुर, थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़।
संबंधित मामला: एन.बी.डब्ल्यू (NBW) ई-वारंटी, केस नंबर 2223/2025, मु0अ0सं0 77/25, धारा 333, 115(2), 352, 351(3), 110 बीएनएस एवं एससी/एसटी एक्ट की सुसंगत धाराएं।

पुलिस टीम- उ0नि0 सचिन यादव मय हमराह का0 जितेन्द्र कुमार, का0 विनोद कुमार, का0 लाखन सिंह, रि0का0 नीरज कुमार, रि0का0 अंकित यादव थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़ ।